राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
(लखनऊ-२२७१३२)

संख्या : ई-9543/जी०एम०

दिनांक: 20 दिसम्बर, २०००

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के उप सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,
इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी परिसर,
सीतापुर रोड,
लखनऊ ।

महोदय,

आपके पत्र सं० उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०कै०/२०००-८९२, दिनांक २९.९.२००० के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-२३(२) के अधीन एकेडमी आफ बिजनेस इंजीनियरिंग सांइसेज, गाजियाबाद को स्ववित्त पोषित योजना के अर्न्तगत कम्प्युटर सांइस, इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी एवं इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दिनांक ०१.०७.२००० से ३०.०६.२००१ तक की अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्रता की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारां जारी शासनादेश संख्या: ४९२/९९-सोलह-प्रा०शि०-१-७(स्था)/९८, दिनांक ०२.०२.१९९९ एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के पत्रांक : ७२०/०१८-(एन०डी०ई०जी०-एपी०आर०)/ईटी/२०००, दिनांक १३.०७.२००० में उल्लिखित शर्तो का संस्था द्वारा शत प्रतिशत पालन किया जायेगा ।

२. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूर्ण कर लिया गया है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपरोक्त पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीटों पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा ।

३. यदि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक वर्ष निरीक्षण कराने के बाद उनके निर्धारित मानकों को संस्था पूर्ण नहीं करते है तो विश्वविद्यालय उक्त संस्थान की अस्थाई सम्बद्रता समाप्त किये जाने पर विचार कर नियमानुसार माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

४. संस्था द्वारा निरीक्षण पैनल की आख्या में दिये सुझावों का अनुपालन प्रवेश प्रक्रिया से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा ।

५. संस्था राज्य सरकार द्वारा शुल्क निर्धारण के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुरूप छात्रों से शुल्क लेगी ।

६. संस्था द्वारा शासन/माननीय कुलाधिपति महोदय/स्टेट्यटरी बाडी के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा ।

७. भविष्य में अग्रेत्तर अवधि के विस्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के पूर्व सभी कमियों को पूर्ण कराये जाने की दशा में ही माननीय कुलाधिपति महोदय/शासन के प्राविधिक शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा ।

भवदीय,

(हरीश सिंह)
कुलाधिपति के उप सचिव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ ।
२- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर ।
३- अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
४- निदेशक, एकेडमी आफ बिजनेस एण्ड इंजीनियरिंग साइंसेज, ८०-नवयुग मार्केट, गाजियाबाद।
५- कम्प्यूटर सेल, राजभवन, लखनऊ ।

(हरीश सिंह)
कुलाधिपति के उप सचिव ।